

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings)

Friday, 30 June 2017 / 09 Ashaadha 1939 (Saka)

No. 53

2.12 PM

Ms Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker in-Chair

1. 2.12 PM **Special Mention (Rule 280):** The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:
 1. Shri Somnath Bharti
(Shri Kapil Mishra, Hon'ble Member was named by the Chair and asked to withdraw from the House as he was disturbing the proceedings of the House. As Shri Kapil Mishra refused to withdraw voluntarily, the Chair directed the Marshalls to escort him out.)
 2. Shri Adarsh Shastri
 3. Shri Sahi Ram
 4. Shri Akhilesh Pati Tripathi
 5. Shri Pawan Kumar Sharma
 6. Shri S.K. Bagga
 7. Shri Pankaj Pushkar
 8. Shri Praveen Kumar
 9. Shri Anil Kumar Bajpai
 10. Shri Shiv Charan Goel
 11. Shri Naresh Yadav
 12. Shri Jagdish Pradhan
 13. Shri Rajesh Gupta

2. 2.56 PM The Chair greeted Shri Shree Dutt Sharma and Shri Sukhbir Singh Dalal on their Birthday falling on 1st July and Shri Anil Kumar Bajpai on his Birthday falling on 2nd July.

3. 3.03 PM **Short Duration Discussion (Rule-55):**

Shri Nitin Tyagi initiated Short Duration Discussion on **“giving preference to eligible persons from Delhi in engaging Guest Teachers in the Schools of the Government of Delhi”**.

The following Members participated in the discussion:

1. Shri Rituraj Govind
2. Shri Akhilesh Pati Tripathi
3. Shri Jarnail Singh
4. Shri Mohinder Goel
5. Shri Sukhbir Singh Dalal
6. Shri Manoj Kumar
7. Shri Sarita Singh
8. Shri Manjinder Singh Sirsa

Ruling of the Chair referring matter to the Committee of Privileges:

Ms. Alka Lamba stated that Shri Manjinder Singh Sirsa had made statements to the Media and on social media on 29.6.2017 claiming that the Ruling Party members had sought a referendum on Kashmir.

Shri Jarnail Singh, Shri Akhilesh Pati Tripathi, Shri Avtar Singh 'Kalkaji', Shri Somnath Bharti and Shri Saurabh Bharadwaj also spoke on the issue. Shri Avtar Singh 'Kalkaji' proposed that the matter be referred to the Committee of Privileges.

Shri Manjinder Singh Sirsa also presented his version.

The Chair taking the sense of the House, referred the matter to the Committee of Privileges.

Shri Manjinder Singh Sirsa concluded his speech on the discussion.

8. Shri Madan Lal

Shri Madan Lal also moved the following Resolution with the leave of the House.

“The Legislative Assembly of NCT of Delhi Having its sitting in Delhi on 30 June, 2017

Taking note of the fact that due to the overwhelming response from neighbouring states of Delhi, local aspirants for teaching positions struggle to find employment as teachers in the state from which they completed their graduation.

Also noting that Universities in Delhi have a strong academic rigour, resulting in candidates graduating from Delhi scoring lower grades than counterparts from other states.

Expressing concern that as a result of the aforementioned challenges, residents of Delhi are at a considerable disadvantage while being considered for appointment as teachers in schools run by Directorate of Education.

Dismayed that residents of Delhi are also at a disadvantage for recruitment as guest teachers owing to the aforementioned reasons.

Opines that for all future recruitment, whether for permanent teachers through the DSSSB, or for Guest Teachers through open applications and merit list, preference be given to candidates graduating from Universities in Delhi.

Resolves that the Directorate of Education must ensure 85% quota for permanent and Guest Teacher positions, for candidates graduating from Universities in Delhi in future recruitments.”

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister replied to the discussion.

The House adopted the Resolution moved by Shri Madan Lal, Hon'ble Member with voice vote

4. 4.15 PM **House adjourned for Tea Break for 30 Minutes.**
5. 4.45 PM **House reassembled
Hon'ble Deputy Speaker in- Chair.**
6. 5.16 PM **Presentation of Report:**
Shri Saurabh Bhardwaj, Hon'ble Member presented the **First Report of Committee On Petitions.** He also gave a presentation about the salient features of the Report.
7. 5.30 PM **The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Monday, 03 July 2017.**

**Delhi
30 June, 2017**

**Prasanna Kumar Suryadevara
Secretary**

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग-1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

शुक्रवार, 30 जून, 2017/09 आषाढ़, 1939 (शक)

संख्या-53

2.12 बजे

सुश्री राखी बिडला, माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुई।

1. 2.12 बजे

विशेष उल्लेख (नियम-280) :

निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये :-

1. श्री सोमनाथ भारती

श्री कपिल मिश्रा, माननीय सदस्य को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा इंगित किया गया तथा सदन से बाहर जाने के लिए कहा गया क्योंकि वह सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे थे। चूंकि श्री कपिल मिश्रा स्वेच्छा से बाहर नहीं गये, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय ने मार्शलों को उन्हें बाहर ले जाने का निर्देश दिया।

2. श्री आदर्श शास्त्री

3. श्री सही राम

4. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी

5. श्री पवन कुमार शर्मा

6. श्री एस.के.बग्गा

7. श्री पंकज पुष्कर

8. श्री प्रवीण कुमार

9. श्री अनिल कुमार बाजपेई

10. श्री शिवचरण गोयल

11. श्री नरेश यादव

12. श्री जगदीश प्रधान

13. श्री राजेश गुप्ता

2. 2.56 बजे

उपाध्यक्ष महोदय ने श्री श्रीदत्त शर्मा, श्री सुखबीर सिंह दलाल को उनके जन्मदिवस 01 जुलाई एवं श्री अनिल बाजपेई को उनके जन्मदिवस 02 जुलाई की अग्रिम बधाई दी।

3. 3.03 बजे

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55):

श्री नितिन त्यागी ने "दिल्ली सरकार के विद्यालयों में अतिथि अध्यापकों को अनुबंधित करने में दिल्ली के योग्य व्यक्तियों को वरीयता देने" के संबन्ध में चर्चा प्रारम्भ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :

1. श्री रितुराज गोविंद

2. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी

3. श्री जरनैल सिंह

4. श्री महेन्द्र गोयल

5. श्री सुखबीर सिंह दलाल

6. श्री मनोज कुमार

7. श्रीमती सरिता सिंह

8. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

विशेषाधिकार समिति को मामला सौंपने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था:

सुश्री अलका लाम्बा ने कहा कि श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 29.06.2017 को मीडिया और सोशल मीडिया को वक्तव्य देकर यह दावा किया कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कश्मीर पर मत संग्रह की मांग की।

श्री जरनैल सिंह, श्री अखिलेशपति त्रिपाठी, श्री अवतार सिंह कालकाजी, श्री सोमनाथ भारती और श्री सौरभ भारद्वाज ने भी इस मुद्दे के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये।

श्री अवतार सिंह कालकाजी ने प्रस्ताव किया कि उक्त मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की भावनाओं को देखते हुए मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने चर्चा पर अपना भाषण पूरा किया।

9. श्री मदन लाल

श्री मदन लाल ने सदन की अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा दिनांक 30 जून, 2017 को दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक में :

इस तथ्य पर गौर करते हुए कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से जोरदार प्रतिक्रिया मिलने के कारण, शिक्षक पदों के लिए स्थानीय उम्मीदवारों को उस राज्य में शिक्षक का रोजगार ढूँढने में संघर्ष करना पड़ता है, जहां से उन्होंने स्नातक किया है;

यह भी ध्यान देते हुए कि दिल्ली के विश्वविद्यालयों में मजबूत शैक्षणिक सख्ती है, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली से स्नातक होने वाले उम्मीदवारों के अंक अन्य राज्यों के समकक्ष उम्मीदवारों की अपेक्षा कम आते हैं;

यह चिंता जाहिर करते हुए कि उपरोक्त चुनौतियों के परिणामस्वरूप, शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति पर विचार करने के दौरान दिल्ली के निवासियों को पर्याप्त हानि होती है;

यह निराशा जाहिर करते हुए कि दिल्ली के निवासियों को उपरोक्त कारणों से अतिथि अध्यापकों के चयन के दौरान भी हानि होती है;

यह मत प्रकट करती है कि भविष्य की सभी भर्तियों में, चाहे दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से स्थायी शिक्षकों के लिए या खुले आवेदन और योग्यता सूची के माध्यम से अतिथि अध्यापकों के लिए हों, दिल्ली के विश्वविद्यालयों से स्नातक करने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाये;

यह संकल्प करती है कि शिक्षा निदेशालय को भविष्य की भर्तियों में दिल्ली के विश्वविद्यालयों से स्नातक उम्मीदवारों हेतु स्थायी और अतिथि अध्यापकों के पदों के लिए 85 प्रतिशत कोटा सुनिश्चित करना चाहिए।

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री मदन लाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

4. 4.15 बजे **सदन की कार्यवाही जलपान अवकाश के लिए 30 मिनट के लिए स्थगित हुई।**
5. 4.45 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।
उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुईं।**
6. 5.16 बजे **प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण :**
श्री सौरभ भारद्वाज ने **याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन** प्रस्तुत किया।
उन्होंने प्रतिवेदन की विशेषताओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण भी दिया।
7. 5.30 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 03 जुलाई, 2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।**

दिल्ली
30 जून, 2017

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव